कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0. एल0ए0/एस0एस0–1/श0स्था0नि0/14409/1587   दिनांकः– 29/04/14

सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार सरकार, पटना

महाशय,

नगर पंचायत, बिहिया के वर्ष 2008–09 से 12–13 के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 415/13–14 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित करवाया जाय जिससे लेखा परीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखापरीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय
सामाजिक प्रक्षेत्र–I
बिहार, पटना

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना — 2 MAY 2014

SS/Sec-7

Sec-7 05-05-14

2830(5) 5/5/14

30/10 46 7/5/14

53

नगर पंचायत, बिहिया
अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0– 415/13–14
अवधि– 2008–09 से 12–13

1. प्रस्तावना

नगर पंचायत, बिहिया के वित्तीय वर्ष– 2008–09 से 2012–13 तक के लेखाओं की नमूना जाँच महालेखाकार(ले0प0), सामाजिक प्रक्षेत्र– I बिहार, पटना के लेखापरीक्षा दल द्वारा दिनांक 03.06. 2013 से 08.06.2013 की अवधि में किया गया।

2. प्रशासन

(i)	**अध्यक्ष का नाम**	**अवधि**
	श्रीमती किरण कुमारी वर्तमान	1-4-08 से 26.10.2011 तक
	श्रीमती अंजू देवी	27.10.2011 से 8.6.2012 तक
	श्रीमती नाजीरन खातून	—
(ii)	**उपमुख्य पार्षद**	
	श्री नन्दजी सिंह	01.4.08 से 8.6.2012 तक
	श्री जानकी सिह	9.6.2012 से 31.3.2013 तक
(iii)	**कार्यपालक पदाधिकारी,**	**अवधि**
	श्री राम विनय शर्मा	20.4.2007 से 17.7.2007 तक
	श्री अरूण कुमार सिह	17.7.2007 से 28.8.2008 तक
	श्री राजीव रंजन	—

3. लेखापरीक्षा का क्षेत्र

अंकेक्षण में जाँच किये गये अभिलेखों की सूची परिशिष्ट– I में तथा अंकेक्षण में उपस्थापित नहीं किये गये अथवा असंधारित अभिलेखों की सूची परिशिष्ट– II में दी गई है।

4. आंतरिक लेखापरीक्षा

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 97 में आंतरिक लेखापरीक्षा का स्पष्ट प्रावधान है तथा बिहार नगरपालिका लेखा नियम, 1928 (नियम 2064 एवं 73 (क) इत्यादि) में यह उपबंधित है कि आंतरिक जाँच अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यपालक पदाधिकारी अथव अन्य जिम्मेवार अधिकारी, जिसे प्राधिकृत किया जाए, के द्वारा किया जायेगा। इस तरह की जाँच की व्यवस्था, उचित नियंत्रण, अभिलेखों के संधारण अथवा किसी भी संभावित वित्तीय अनियमितता को दूर करने हेतु की गई थी।

अभिलेखों की जाँच के क्रम में पाया कि इस तरह की जाँच की व्यवस्था नगर पंचायत प्राधिकारी द्वारा नहीं की गई, जिसके कारण अभिलेखों के संधारण में अनियमितता पायी गई, जिनका उल्लेख कंडिकाओं में दिया गया है।

5. पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

पूर्व के प्रतिवेदनों में की गई टिप्पणियों एवं लेखापरीक्षा के क्रम में की गई आपत्ति के आलोक में किसी भी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज/साक्ष्यगत टिप्पणी नहीं किया गया। अनुपालन के अभाव में लेखापरीक्षा का प्रयोजन ही निष्फल होता है।

अतः नगर पंचायत के पदाधिकारियों, सशक्त स्थायी समिति एवं जिला लेखा समिति का ध्यानाकर्षण लेखापरीक्षा में लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन हेतु कारगर कदम उठाने की ओर किया जाता है ताकि सांवैधानिक प्रावधानों के आलोक में लोक धन की पारदर्शिता, सरकारी दिशानिर्देशों एवं निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए स्वीकृत अनुदानों की वास्तविकता परिलक्ष्यित हो सके।

6. लेखापरीक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

क्र.सं.	विवरणी	राशि	कंडिका सं0
1	सैरातों की बंदोबस्ती नहीं होने के कारण राजस्व की हानि	144803	15(ग)(i)
2	संवेदक द्वारा निर्धारित समय में कार्य पूरा नहीं करना कारण शास्ति	700331	19
3	निधियों का अवरोधन	425000	21
4	असमायोजित अग्रिम	5385000	29

7. अधिदृश्य (आय–व्यय)

नगर पंचायत, बिहिया को सरकार से प्राप्त अनुदान एवं स्वयं के स्त्रोत से प्राप्त आय से वित्तपोषित होती है। वर्ष 2008–09 से 2012–13 तक के आय–व्यय विवरणी का सार इस प्रकार है:–

विवरणी	**2008–09**	**2009–10**	**2010–11**	**2011–12**	**2012–13**
प्रारम्भिक शेष	6258959.02	9065708.02	8935088	9015958	16629794
वर्ष की प्राप्तियाँ	5138938	5712471	2507955	18573056	15716227
कुल प्राप्तियाँ	11397897.02	14778179	11443043	27589014	32346021
व्यय	2332189	5843091	2427085	10959220	8511526
अंतशेष	9065708.02	8935088	9015958	16629794	23834495

विस्तृत विवरणी परिशिष्ट –III

8. अंतशेष

विभिन्न रोकड़ पंजी एवं संबंधित बैंक पास बुक का दिनांक 31.03.2013 तक का अंतशेष का विश्लेषण निम्न प्रकार है:–

क्र सं0	रोकड़बही का नाम	रोकड़ पंजी के अंतशेष	पासबुक का अंतशेष	अन्तर	बैंक का नाम खाता सं0	राशि
1	लेखापाल रोकड़बही	23713501.54	23231702	481799.54	1. सी0सी0बैक बिहिया खाता सं0 19	73300
					2. एस0बी0आई0 बिहिया 11767754319	163663
					3. पी0एन0बी0 बिहिया 600200100031799	947196
					4. कोषालाय खाता सं0 158	22047543
					कुल	**23231702**
2	एस0जे0एस0आर0वाई0	3165105.46	3165105.46	शून्य	एस0बी0आई0 खाता 01170081564	3165105.46
3	बी0आर0जी0एफ0	806099	811718	5619	एस0बी0आई0 खाता 31058158685	722577
					पी0एन0बी0 खाता 6002000100051614	89121
					कुल	**811698**

अतः रोकड़बही एवं पासबुक के अंतर को समाधानित कर अगले अंकेक्षण में समर्पित किया जाए ताकि प्राप्त अनुदान/स्वयं के राजस्व की पारदर्शिता परिलक्ष्यित हो सके।

रोकड बही की त्रुटियॉ–

(क) लेखापाल रोकड़बही

लेखापाल रोकड़बही के अवलोकन से निम्न मामले प्रकाश में आया :–

- वार्षिक आय–व्यय विवरणी तैयार नहीं किया गया था
- सरकारी अनुदान मदों पर बैंको से मिलने ब्याज की राशि का अलग रोकड़बही संधारित किया गया जबकि ब्याज अनुदान का ही भाग होता हैं एवं उसी अनुदानों के निर्दिष्ट प्रयोजनों हेतु व्यय करने का प्रावधान किया गया है। अतः सभी मदों के अलग–अलग सहायक रोकड़बही को संधारित करते हुए प्राप्ति शीर्ष में ब्याज की राशि को इन्द्राज किया जाए।
- रोकड़बही नियमावली के अनुसार प्रत्येक 15 दिनों पर आहरण एवं संवितरण पदाधिकारी को रोकड़बही का निरीक्षण किया जाना चाहिए। परंतु नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार

150

के कोई निरीक्षण नहीं किया गया जिससे वित्तीय अनियमितताएँ के मामले से इंकार नहीं किया जा सकता है।

- रोकड़बही में काट–छॉट किया गया था।

(ख)(i) कम जमा राशि 50000/–

लेखापाल रोकड़बही के अवलोकन के कम में यह ज्ञात हुआ कि व्यवसायिक वाहनों की बंदोबस्ती(2011–12) की राशि 100000/– में से संबंधित संवेदक द्वारा नगर पंचायत कोष में विविध रसीद सं0 1828/31.03.2011 को राशि 50000/– कोषालय पासबुक के खाता सं0 19 में जमा दर्शाया गया।

लेखापरीक्षा आपत्ति के आलोक में बताया गया कि श्री विंदयाचल कुमार, वसूलीकर्त्ता द्वारा विविध रसीद की राशि जो निजी तौर पर खर्च कर दिया गया था उस राशि का समायोजन कर लिया गया है। अनुपालन तर्कसंगत दस्तावेज लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाया गया था।

अतः समायोजन से संबंधित आवश्यक दस्तावेज से समाजिक प्रक्षेत्र– बिहार, पटना को अवगत करवाया जाए एवं जो राशि 50000/– की वसूली हेतु प्रभावी कदम उठाया जाए।

(ii) बी0आर0जी0एफ0

रोकड़बही में इन्द्राज की तिथि 27.7.2009 एवं 29.8.2009 की प्रविष्टि के अनुसार उपविकास आयुक्त भोजपुर द्वारा नगर पंचायत को भेजी गयी राशि 1104251 तथा दिनांक 6.1.2009/28.1.2009 की प्रविष्टि की राशि 1178919 उपलब्ध करवाया गया बैंक खाता में नहीं पाया गया। लेखापरीक्षा आपत्ति के बावजूद कारण स्पष्ट नहीं किया गया। बैंकपासबुक की राशि अगले अंकेक्षण दल को दिखाया जाए।

(iii) एस0जे0एस0आर0वाई0

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बिहिया, भोजपुर एवं सचिव, जीवन ज्योति संस्थान, पटना के बीच सरकार के उप सचिव, नगर विकास एव आवास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक– 927/6.9.2012 के आलोक में बी0पी0एल0 परिवारों के युवक एवं युवतियों को प्रशिक्षण देने के लिए एकरारनामा किया गया। इस एकरारनामा के अनुसार निम्न प्रकार से भुगतान किया गया :–

क0सं0	प्रशिक्षण के मद	प्रशिक्षणार्थीयों की कुल सं.	प्रति प्रक्षिणार्थी भुगतान की गई राशि	भुगतान की गई कुल राशि
1	कम्पयूटर सॉफटवेयर	40	7000	280000
2	स्पोकेन इंगलिश	80	4000	320000
	कुल	120	11000	600000

लेखापरीक्षा टिप्पणी

संचिका अवलोकन से निम्न मामले प्रकाश में आया :–

- स्पोकेन इंगलिश के लिए प्रशिक्षणार्थियों से मॉगी गई आवेदन पत्र एवं छात्रों की उपस्थिति पंजी संचिका में नहीं पाया गया। लेखापरीक्षा आपत्ति के बावजूद अंकेक्षण दल को समर्पित नहीं किया गया। अतः "स्पोकेन इंगलिश" मद में किया गया व्यय राशि 320000 अगले अंकेक्षण में समर्पित किये जाने तक लेखापरीक्षा आपत्ति के अंतर्गत रखी जाती है।

9. सरकारी अनुदान

अनुदान पंजी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया जिसके कारण पूर्व का अव्यवहृत अनुदान वर्ष 2013 की अवधि में प्राप्त अनुदान विनियोग एवं 31.3.2013 के अव्यवहृत अनुदान के आंकड़ों को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। उपलब्ध करवाये गये लेखापाल रोकड़बही की प्रविष्टियों के अनुसार अनुदान की स्थिति निम्न प्रकार थीः—

क्र0स0	पत्रांक/दिनांक	राशि	मद के प्रकार	अभ्युक्ति
1	1938/न.वि.वि./ 17.4.2008	245812	द्वादश विता आ0	4.6.2008
2	16/मु0/जि0प0/15.4.2008	42000	कबीर अंत्येष्टि	4.7.2008
3	505/उ0वि0आयुक्त/25.10.2008	1178919	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	05.01.2009
4	4535/उ0वि0आ0/29.8.2008	67900	—तथैव—	11.2.2009
5	06/तथैव/9.2.2009	2887875	प्रशासनिक भवन निर्माण	28.3.2009
6	40/जि0पदा0/23.5.2009	1104251	पि0क्षे0अ0नि0	27.7.2009
7	16/मु0/जि0पदा0/15.4.2008	42000	कबीर अंत्येष्टि	29.9.2009
8	456/जि0पदा0/18.9.2009	52500	कबीर अंत्येष्टि	4.2.2010
9	23/मु0/तथैव/5.11.2009	94500	कबीर अंत्येष्टि	4.2.2010
10	130/न0वि0वि0/21.10.2009	234957	वेतनादि	31.3.2010
11	28/न0वि0वि0/17.3.2010	386273	द्वादश वित्त आयोग	31.3.2010
12	41/न0वि0वि0/25.3.2010	386273	तथैव	तथैव
13	30/ तथैव/19.3.2010	67200	प्रतिनिधियों का भत्ता	तथैव
14	305/जि0पदा0/16.2.2010	20000	पशुधन गणना	27.4.2010
15	432/ तथैव/29.4.2010	37500	कबीर अंत्येष्टि	12.7.2010
16	69/न0वि0वि0/26.4.2010	67200	पार्षदों का भत्ता	28.1.2011
17	109/ तथैव/ तथैव	42000	प्रशिक्षण	तथैव
18	109/ तथैव/ तथैव	101200	जनगणना कार्य मानदेय	तथैव
19	6243/न0वि0वि0/3.11.2010	140000	नगर प्रबंधक का मानदेय	18.2.2011
20	48/जि0पदा0/1.2.2011	13000	कार्यालय व्यय	25.2.2011

21	95 / न0वि0वि0 / 17.8.2010	800000	13वॉ वित्त आयोग	14.3.2011
22	127 / न0वि0वि0 / 16.11.2010	137193	वेतनादि	तथैव
23	150 / जि0पदा0 / 28.2.2011	79500	कबीर अन्त्येष्टि	23.3.2011
24	71 / तथैव / 24.11.2011	94500	–तथैव–	तथैव
25	186 / न0वि0वि0 / 30.3.2011	800000	13वॉ वित्त आयोग	17.6.2011
26	737630 / न0वि0वि0 / 30.3.2011	2237	विलम्ब सूद	तथैव
27	3704 / तथैव / 30.6.2011	100000	नगर प्रबंधक का मानदेय	20.7.2011
28	79 / जि0पदा0 / 21.2.2011	19800	प्रगणक / पर्यवेक्षकों का मानदेय	रोकड बही में प्रविष्टि नहीं
29	79 / जि0पदा0 / 21.2.2011	69000	प्रगणक / पर्यवेक्षकों का मानदेय	–तथैव–
30	79 / जि0पदा0 / 21.2.2011	81935	लिपिकीय सहायता हेतु व्यवसायिक एवं विशेष सेवायें मानदेय	–तथैव–
31	79 / जि0पदा0 / 21.2.2011	3750	मकान सूचीकरण एवं रा0 जनसंख्या	–तथैव–
32	166 / न0वि0वि0 / 26.3.2011	1347216	मैचिंग ग्रांट	–तथैव–
33	179 / न0वि0वि0 / 30.3.2011	700000	चापाकल सहाय्य अनुदान	–तथैव–
34	366 / जि0पदा0 / 14.6.2011	102000	कबीर अंत्येष्टि	–तथैव–
35	652 / तथैव / 22.11.2011	51000	–तथैव–	–तथैव–
36	24 / न0वि0वि0 / 23.8.2011	970000	13वें वित्त आयोग	–तथैव–
37	36 / तथैव / 25.1.2012	67200	प्रतिनिधियों का भत्ता	–तथैव–
38	01 / जि0पदा0 / 14.3.2012	384600	जनगणना कार्य	–तथैव–
39	01 / तथैव / 14.3.2012	1500	एन0पी0आर0 तैयारी हेतु	–तथैव–
40	01 / तथैव / तथैव	600	कार्यालय व्यय जनगणना	–तथैव–
41	70 / न0वि0वि0 / 7.3.2013	1618875	प्रशासनिक भवन का पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि	–तथैव–
42	60 एव 52 / तथैव / 19.3.2012	2251840	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	–तथैव–
43	60 एव 52 / तथैव / 19.3.2012	1643755	–तथैव–	–तथैव–
44	61 एवं 53 / तथैव / 19.3.2012	2000000	–तथैव–	–तथैव–
45	58 / तथैव / 13.3.2012	983000	13वें वित्त आयोग	–तथैव–
46	68 / तथैव / 26.3.2012	78979	ई–गवर्नेंस सहाय अनुदान	–तथैव–
47	01 / तथैव / 4.4.2012	636000	13वें वित्त आयोग	–तथैव–

48	36 / तथैव / 31.8.2012	331000	तथैव	–तथैव–
49	29 / तथैव / 19.9.2012	1039000	जनरल वेसिक अनुदान	–तथैव–
50	41 / तथैव / 19.9.2012	240000	नगर प्रबंधक का मानदेय	–तथैव–
51	44 / न0वि0वि0 / 29.9.2012	67200	पार्षदों का भत्ता	रोकड़ बही में प्रविष्टि नहीं
52	88 / न0वि0वि0 / 4.3.2013	2271130	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	रोकड़ बही में प्रविष्टि नहीं
53	88 / न0वि0वि0 / 4.3.2013	973344	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	रोकड़ बही में प्रविष्टि नहीं
54	88 / न0वि0वि0 / 4.3.2013	1511260	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	रोकड़ बही में प्रविष्टि नहीं
55	88 / न0वि0वि0 / 4.3.2013	2000000	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	रोकड़ बही में प्रविष्टि नहीं
56	630 / जि0पदा0 / 13.3.2013	35908	पशुधन गणना	–तथैव–
57	630 / जि0पदा0 / 13.3.2013	1000	पशुधन गणना	–तथैव–
58	630 / जि0पदा0 / 13.3.2013	400	पशुधन गणना	–तथैव–
59	630 / जि0पदा0 / 13.3.2013	1600	पशुधन गणना	–तथैव–
60	40 / उ0वि0आ0 / 23.05.09	1104251	बी.आर.जी.एफ.	29.08.09
61	29 / उ0वि0आ0 / 23.01.10	1386394	बी.आर.जी.एफ.	13.05.10
62	198404 / उ0वि0आ0 / 23.01.10	1386846	बी.आर.जी.एफ.	31.12.10
63	आर.टी.जी.एस. / उ0वि0आ0 / 01.02.11	3420	बी.आर.जी.एफ.	01.02.2011
64	आर.टी.जी.एस. / उ0वि0आ0 / 01.02.11	1335221	बी.आर.जी.एफ.	03.10.2012
	कुल	35923814		

लेखापरीक्षा आपत्ति के आलोक में बताया गया कि अनुदान पंजी खुला है। लेकिन प्रविष्टि नहीं की जा चुकी है। जिसे शीघ्र पूरा कर लिया जायेगा।

10. वार्षिक लेखा

वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 के लिए मद्‌वार प्राप्तियों एवं व्ययों को दर्शानेवाला वार्षिक लेखा, मासिक, त्रैमासिक प्राप्तियों एवं व्ययों के आँकड़े अंकेक्षण में आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत नही किये गये। वार्षिक लेखा तैयार नही किये जाने के कारणों को स्पष्ट नही किया गया। अतः वार्षिक लेखा तैयार कर आवश्यक जाँच हेतु अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

11. बजट

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 82 के तहत मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक वर्ष का बजट तैयार किया जायगा जिसमें विभिन्न लेखा शीर्षो के अधीन प्राप्त और उपगत किये जाने वाले नगरपालिका के आय–व्यय को पृथक रूप से दर्शाया जाएगा।

उपर्युक्त अधिनियम की धारा 84 के तहत नगरपालिका, बजट प्राक्कलन और इस पर सशक्त स्थायी समिति की अनुशंसा, यदि कोई हो, पर विचार करेगी तथा प्रत्येक वर्ष 15 मार्च तक ऐसे परिवर्तनों के साथ आगामी वर्ष हेतु बजट प्राक्कलन अंगीकार करेगी साथ ही नगर निगम के मामले में राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा, जिसे वह परिवर्तन के साथ अथवा बिना परिवर्तन के उस वर्ष के मार्च की 31 तारीख को नगरपालिका को लौटा दिया जायेगा। परन्तु नगर पंचायत, बिहिया द्वारा बजट तैयार नहीं किया गया था।

12. लेखा समिति

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के धारा 98 के अन्तर्गत लेखा समिति के गठन का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम के उपबंधो के अधीन तथा इसमें निर्मित नियमों तथा व्यय स्थापना के अनुसार लेखा समिति का दायित्व निम्नलिखित है:–

(क) नगरपालिका द्वारा अपने व्यय के लिए प्राप्त धन राशि के विनियोजन को दर्शाते हुए नगरपालिका की लेखा की जाँच करना तथा नगरपालिका की वार्षिक वित्तीय लेखा का परीक्षण करना।

(ख) धारा–94 के अधीन नियुक्त लेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत नगरपालिका के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का परीक्षण एवं जाँच करना और स्वयं को इस बात से संतुष्ट करना लेखा में विनिर्दिष्ट धनराशि जो संवितरित की गई थी तथा जिन–जिन कार्यो अथवा प्रयोजनों के लिए उपलब्ध कराया गया था, उनके अनुरूप उनका व्यय के लिए उस व्यय के नियंत्रण पदाधिकारी का अनुमति प्राप्त किया जाय। कटिहार नगर निगम के अन्तर्गत लेखा समिति का गठन नही किया गया था। अतः अधिनियम की धारा–98 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

13 क. भवन कर का अधिरोपण नहीं होना

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा–127 में यह प्रावधान किया गया है कि नगर निकाय राज्य सरकार की स्वीकृति से नगरपालिका क्षेत्र में करों तथा शुल्कों को अधिरोपित करेंगी। लेकिन नगर पंचायत द्वारा वर्षो से निर्धारित करो का पुनरीक्षण नहीं किया गया था तथा "भवन कर" के मॉग एवं वसूली पंजी/विवरणी लेखापरीक्षा आपत्ति के बावजूद समर्पित नहीं किया गया।

ख. होल्डिंग का पुनरीक्षण एवं सड़कों का वर्गीकरण नही किया जाना:–

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा–127 (13) के अनुसार नगरपालिका हरेक पाँच वर्ष में होल्डिगों के वार्षिक मुल्य का उर्ध्वगामी (बढ़ते हुए क्रम में) पुनरीक्षण एवं होल्डिगों के सड़कों का पुर्नवर्गीकरण करेगी। परंतु नगर पंचायत, बिहिया में होल्डिगों के वार्षिक मूल्यों का पुनरीक्षण एवं होल्डिगों के सड़कों का पुर्नवर्गीकरण नहीं किये जाने के कारण नगर निकाय को प्रतिवर्ष राजस्व की हानि हो रही है।

14(क) मॉग एवं वसूली

क. निजी भवनों पर बकाया करो की कुल राशि 2.10 करोड़

मकान कर से संबंधित मॉग एवं वसूली पंजी का संधारण नहीं किया गया था। परंतु नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाये गये ऑकड़ों के अनुसार वर्ष 2008–09 से 2012–13 तक में राशि 21056362.67 बकाया है। (परिशिष्ट– IV)

ख. सरकारी भवनों पर बकाया करों की कुल राशि 1.02 लाख

स्रकारी भवनों पर बकाया करों से संबंधित मॉग एवं वसूली पंजी का संधारण नहीं किया गया था। परंतु नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाये गये ऑकड़ों के अनुसार 31.3.2013 तक राशि 102046/– बकाया था।

अतः भवनों पर बकाया करों की कुल राशि 102046/– की वसूली हेतु प्रभावी कदम उठाया जाए ताकि नगर पंचायत कों मिलने वाली राजस्व में वृद्धि सुनिश्चित किया जा सके।

(परिशिष्ट– V)

ग. संचार (मोबाईल) टावरों का अपंजीकृत रहना एवं राशि 7.02 लाख का बकाया

बिहार सरकार द्वारा संचार (मोबाईल) टावर एवं संबंधित संरचना पर करो के संबंध में बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली 2012 दिनांक 08.10.2012 का अधिसूचित किया गया है।

उपर्युक्त नियमावली के नियम–6 (1) के अनुसार नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पंचायत में पंजीकरण शुल्क राशि–50,000.00 प्रतिटावर 40000/– 30000/– प्रतिटावर एवं नवीकरण शुल्क राशि–15,000.00 10000/– 8000/– प्रतिवर्ष प्रतिटॉवर निर्धारित किया गया है।

नियम 6(2) के अनुसार उपर्युक्त नियमावली के प्रभावी होने के पूर्व के स्थापित मोबाईल टावरों को उपवर्गित पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा तथा नवीकरण शुल्क टावर स्थापित करने के समय से पूर्व वर्षो के आधार पर किया जायेगा।

नगर पंचायत द्वारा प्रस्तुत मोबाईल टॉवर पंजी के अनुसार वसूली एवं बकाया की स्थिति निम्न प्रकार है:–

क0सं0	मोबाईल टॉवर कम्पनी	टॉवर की कुल सं0	स्थापना केवर्श	2012–2013 तक की कुल अवधि	पंजीकरण शुल्क प्रति टॉवर	नवीकरण शुल्क प्रति वर्श	कुल बकाया राशि
1	एयरटेल मोबाईल	3	2008–09	6 वर्ष	90000	144000	234000
2	बी0एस0एन0एल0	1	2008–09	6 वर्ष	30000	48000	78000
3	आइडिया	1	2008–09	6 वर्ष	30000	48000	78000
4	वोडाफोन	1	2008–09	6 वर्ष	30000	48000	78000
5	टाटाइंडिकोम	1	2008–09	6 वर्ष	30000	48000	78000
6	एयरसेल	1	2008–09	6 वर्ष	30000	48000	78000
7	रिलायंस	1	2008–09	6 वर्ष	30000	48000	78000
	कुल						702000

अतः बकाये की कुल राशि 702000/– की वसूली संबंधित कम्पनियों से किया जाए एवं जमा की वास्तविक स्थिति से सामाजिक प्रक्षेत्र– I महालेखाकार लेखापरीक्षा, बिहार, पटना को अवगत करवाया जाए।

15. राजस्व के स्त्रोत

क. खतरनाक व्यवसाय एवं अनुज्ञप्ति शुल्क

नगर पंचायत, बिहिया द्वारा वांछित सूचना के आलोक में उपलब्ध करवाये गये खतरनाक व्यवसाय एवं अनुज्ञप्ति शुल्क विवरणी के अनुसार बकाया करों की स्थिति निम्न प्रकार हैं–

2008–09	29654.00
2009–10	31113.00
2010–11	32872.00
2011–12	34131.00
2012–13	34420.00
कुल	162190.00

अतः बकाया शुल्क की राशि 162190/– की वसूली हेतु प्रभावी कदम उठाया जाए।

(परिशिष्ट– VI)

ख. दैनिक संग्रह की प्राप्त राशि नगर पंचायत कोष में जमा नहीं

बिहिया, नगर पंचायत में प्रस्तुत किये गये "एच0" रसीद के अवलोकन के क्रम में पाया गया कि राशि 3,71,107/– दैनिक संग्रह पंजी में जमा नहीं पाया गया अर्थात नगर पंचायत कोष में जमा नहीं पाया गया। विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र0सं0	रसीद संख्या	वसूलीकर्ता का नाम	राशि
1	601 से 700 27.12.12 से 05.02.13	रविशंकर राय	1,38,346
2	501से 600 09.04.08 से 08/09	रविन्द्र एवं बी0 कुमार	12,844
3	601 से 700 20.08.09 से 10/10	बी0 कुमार	3,982
4	701 से 800 08.10.10 से 2011	बी0 कुमार	22,016
5	801 से 900 05.04.11 से 27.09.11	बी0 कुमार	22,257
6	101 से 200 18.04.12 से 27.12.12	रविशंकर राय	1,71,662

कुल योग : 3,71,107 /–

लेखापरीक्षा आपत्ति के आलोक में बताया गया कि जांचोपरान्त अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी। अनुपालन मान्य नहीं हैं। अतः उक्त राजस्व की वसूली संबंधित तहसीलदार से किया जाए।

(ग)(i) सैरातों की बंदोबस्ती में सुरक्षित जमा कम किए जाने से राजस्व की हानि ₹52445.00

नगर पंचायत, बिहिया के वित्तीय वर्ष 2008–09 से 2012–13 के अंकेक्षण के दौरान सैरातों की बंदोबस्ती से संबंधित पंजी उपलब्ध नहीं कराया गया। जिससे सैरातों की वास्तविक संख्या सुनिश्चित नहीं किया जा सका। सैरातों से संबंधित उपलब्ध अभिलेख के आधार सैरात की बंदोबस्ती पूर्व वर्ष के बन्दोबस्ती के आधार पर की जानी चाहिए। ऐसा नहीं होने के कारण (कम–से–कम) अधिक पर की जानी चाहिए। ऐसा नहीं होने के कारण बन्दोबस्ती में हानि हुई। विवरणी में इसका उल्लेख है। मुद्रांक शुल्क बन्दोबस्ती की राशि का 3% की राशि में आंशिक रूप से जमा नहीं किया गया (विवरणी में उल्लेख)। जो इस प्रकार है–

क0सं0	सैरात का नाम	वर्ष	बंदोबस्ती की राशि	हुई हानि	मुद्रांक शुल्क 3% के अनुसार	शेष जमा योग्य राशि
1	बाजार टॉल्स	2008–09	277100	277100–265750	8313	8313
		2009–10	265750	=11350	7972.50	7972.50
		2010–11	317000	317000–280000	9510	9510
		2011–12	280000	=37000	8400	8400
		2012–13	321000		9630	9630
2	टीन–टिकट, साईकिल, रिक्शा, ठेला, बैलगाड़ी, टायरगाड़ी, टमटम	2008–09	52100	52100–48005	1563	1563
		2009–10	48005	=4095	1440	1440
		2010–11	55200		1656	1656
		2011–12	56651		1699	1699
		2012–13	57300		1719	1719

3	मैक्सी, टैक्सी एवं टेम्पू वाहन शुल्क वसूली हेतु बंदोबस्ती	2008–09	431101		12933	12933
		2009–10	413951		12418	12400
		2010–11	504100		15123	15123
		2011–12	अनुपलब्ध			
		2012–13	892000			
	कुल				**52445**	**92358**
4	पोखरा, तालाब के निकट शौचालय वसूली हेतु बंदोबस्ती		गैर सरकारी संगठन को 30 वर्षो के लिए सविदा पर दिया गया हैं			

लेखापरीक्षा टिप्पणी

3 प्रतिशत अतिरिक्त मुद्राक शुल्क की कुल राशि 92358/– वसूल कर संबंधित शीर्ष में जमा किया जाए एवं पूर्व वर्ष से कम पर बंदोबस्ती होने के कारण नगर पंचायत को राजस्व की कुल हानि राशि 52445/– की वसूली भी जिम्मेदार व्यक्ति से किया जाए।

(ग)(ii) सैरातों की बंदोबस्ती की राशि नगर पंचायत कोष में कम जमा राशि ₹40.72 लाख

सैरातों की बन्दोबस्ती के नमूना जॉच के कम में पाया गया कि वर्ष 2008–09 से 2012–13 तक की गई बन्दोबस्ती की राशि रोकड़पाल रोकड़बही में कमबद्ध तरीके से कम जमा किया गया था जो इस प्रकार है–

क0सं0	**सैरातों के नाम**	**वर्ष**	**उच्चतम डाक की राशि(₹)**	**नगर कोष में जमा की गई राशि(₹)**	**कम जमा राशि(₹)**
1	बाजार टोल्स	2008–09	277100	138550 26555	111995
		2009–10	265750	70000	195750
		2010–11	317000	190200 26000	100800
		2011–12	280000	150000	130000
		2012–13	321000	––	321000
		2013–14	338700	––	338700
		कुल			1198245
2	टीन टीकट	2008–09	52100	26000	26100
		2009–10	48005	24005	24000
		2010–11	55200	27500	27700
		2011–12	56651	––	56651

		2012–13 2013–14	57300 अनुपलब्ध	–– ––	57300 ––
		कुल			191751
3	मैक्सी, टैक्सी वाहन शुल्क की राशि	2008–09 2009–10 2010–11 2011–12 2012–13 2013–14	431101 413351 504100 अनुपलब्ध 892000 961800	253500 41314 226000 –– –– ––	177601 372037 278100 –– 892000 961800
		कुल			2681538
	संदेय योग	(1+2+3)	4071534		

लेखापरीक्षा आपत्ति के आलोक में बताया गया कि बंदोबस्ती की बकाया राशि जिन व्यक्तियों/बंदोबस्तीधारी पर बाकी है, नोटिस निर्गत किया जा रहा है तथा इन पर जो उचित कानूनी कार्यवाही होगी बकाये वसूली के संदर्भ में किया जायेगा।

अतः सैरात की कम जमा राशि 4071534 की वसूली संबंधित बंदोबस्तीधारी से वसूलने के लिए प्रभावी कदम उठाया जाए।

घ. "होल्डिंग टैक्स" को विलम्ब से जमा करने पर शास्ति (Penalty)की कम वसूली राशि 39840/–

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा–127 के अन्तर्गत नगर निकायों को Taxes Levy करने के लिए अधिकृत किया गया हैं। उक्त प्रावधान के अन्तर्गत बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक–4(न)/क04/2009/3533/न0वि0एवं0आ0वि0 दिनांक 27.08.2009 के आलोक में 31 दिसम्बर, 2009 तक जो भी कर दाता चालू वित्तीय वर्ष अथवा बकाये करो का भुगतान करेंगे उन्हें 15 प्रतिशत की छुट अनुमान्य होगी। निर्धारित तिथि के बाद टैक्स जमा करने पर प्रतिमाह 2 प्रतिशत का दण्ड स्वतः अधिरोपित होगा और अधिक देरी होने की स्थिति में अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत नगर निकायों द्वारा आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जा सकेगी।

लेखापरीक्षा में प्रस्तुत 'H रसीदों के नमूना जाँच के अनुसार यह मामला प्रकाश में आया कि विलम्ब से "होल्डिंग टैक्स" जमा करने के बावजूद कुछ तहसीलदारों द्वारा या तो "शास्ति अध्यारोपित" नहीं किया गया अथवा कम शास्ति की वसूली की गई थी। जिससे नगर निगम को "राजस्व मद्" में राशि 39840/– की हानि हुई तथा सरकारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया गया। लेखापरीक्षा आपत्ति के आलोक में बताया गया कि संबंधित करदाताओं को इसकी सूचना दे दी गई है।

(40

परिशिष्ट–

16. दैनिक मजदूरी पर अप्राधिकृत व्यय रूपया 1.97 लाख

बिहार सरकार के पत्र सं0–4 न से 1.1012/87–1231/न.वि.वि.दिनांक 06.05.1992 एवं अन्य विभिन्न पत्रों द्वारा शहरी स्थानीय निकायों में दैनिक मजदूरी पर रोक लगाई गई है।

परन्तु लेखापरीक्षा में उपलब्ध रोकड़बही के अनुसार नगर पंचायत, बिहिया में वर्ष 2008–09 एवं 2011–12 के दौरान रूपया 197762/– दैनिक मजदूरी पर न्यय किया गया जो कि सरकार के निर्देशों के विरूद्ध एवं अप्राधिकृत था। विवरणी निम्न प्रकार हैः–

क0सं0	अभिश्रव सं0	राशि	विवरणी
1	16 से 19/20.8.2008	4640	4 कर्मियों को 4/08 से 7/08
2	30/29.9.2008	1200	1 कर्मी को 9/08 का भुगतान
3	22/24.9.2008	1200	1 कर्मी को 8/2008 का भुगतान
4	34/3.11.2008	1200	1 कर्मी को 10/08 का भुगतान
5	59 से 62/29.1.2009	8480	3 कर्मियों का 11 एवं 12/08 का भुगतान
6	83 से 85/2.3.09	7200	2 कर्मियों का 1 एवं 2/09
7	30/4.8.2009	4240	1 कर्मी को 6/2009 का
8	43/29.9.2009	3680	1 कर्मी का 8 एवं 9/2009
9	52 से 55/31.12.2009	30360	4 कर्मियों का 9/2009 से 12/2009
10	66 एवं 67/16.3.2010	6960	2 कर्मीयों को 01 एवं 2/2010
11	5 से 7/20.5.2010	11200	3 कर्मीयों को 3 एवं 4/2010
12	33 से 36/14.8.2010	24790	5 कर्मीयों को 5/2010 से 7/2010
13	48 से 50/9.10.2010	9870	3 कर्मीयों को 3 एवं 4/2010
14	56 से 58/10.12.2010	8520	3 कर्मीयों को 10/2010
15	85 से 89/17.3.2011	25300	5 कर्मीयों को 12/2010 से 2/2011
16	23 से 27/27.6.2011	26130	5 कर्मीयों को 3/2011 से 5/2011
17	33 से 37/29.8.2011	20800	5 कर्मीयों को 6/2011 एवं 7/2011
18	38 से 40/29.8.2011	1991	3 कर्मीयों को
		197761	

लेखापरीक्षा आपत्ति के आलोक में बताया गया कि दैनिक मजदूरों को हटाने के लिए कार्रवाई की जाएगी। अतः प्रभावी कदम उठाये जाने तक व्यय की गयी राशि 197761/– लेखापरीक्षा आपत्ति के अंतर्गत रखी जाती है।

17. नगर पंचायत के सफाई कार्य के लिए आवश्यक सामग्री का कय

क. फाईबर कूड़ादान एवं हैण्ड टॉली का कय

पार्षद की बैठक के निर्णय के अनुसार दिनांक प्रकाशित निविदा जो 16.03.2010 तक आमंत्रित थी। उसी दिन इसे खोला जाना था के आलोक में प्राप्त निविदा प्रभुदयाल, ओम प्रकाश, दिल्ली को दिनांक 09.07.2010 को मोबाईल डस्टबीन एवं पी0भी0सी0 टॉली की आपूर्ति आदेश दिया गया, जिसके आलोक में इन्वॉयस सं. डब्ल्यू0टी0–0985 दिनांक 22.7.2010 द्वारा विपत्र प्रस्तुत किया गया। जो निम्न प्रकार था:–

1.	मोबाईल डस्टबीन	21 अदद	प्रति 28000	:	588000
2.	हैण्ड टॉली	2 अदद	प्रति 9000		18000
3.	वैट	12.5 प्रतिशत			75750
4.	कुल				**681750.00**

लेखापरीक्षा टिप्पणी

- मूल्य से संबंधित वार्ता की गयी अथवा नहीं
- सामग्री की गुणवत्ता की जॉच की गयी एवं विशिष्टियों के अनुरूप था। अथवा नहीं इसका प्रमाण पत्र संलग्न नहीं पाया गया
- उपयोगिता, भंडार पंजी प्रविष्टि, सामग्री प्राप्ति का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं पाया गया

लेखापरीक्षा आपत्ति के आलोक में बताया गया कि बोर्ड की पारित प्रस्ताव के आलोक में डस्टबीन एवं पी0भी0सी0 टाली का निविदा प्रकाशित कर जो सबसे कम दर का उसे नियमानुसार स्वीकृत कर कय किया गया है। लेखापरीक्षा अनुपालन मान्य नहीं है। अतः व्यय की गई राशि 681750/– लेखापरीक्षा आपत्ति के अंतर्गत रखी जाती है।

ख. सक्सन मशीन आपूर्ति

पत्रांक 216 दिनांक 15.10.2011 द्वारा "कॉम अविडा इनवायरो इंजिनियरिंग प्रा0लि0, पूणे (महाराष्ट्र)" को 3500 लीटर क्षमता वाले टेलर माउण्टेड सक्सन मशीन 5,64,146/– में आपूर्ति करने का आदेश निर्गत किया गया, जो नगर पंचायत, बिहिया को अपूर्त्ति दर था। आपूर्तिकर्ता द्वारा निम्न रूप से विपत्र प्रस्तुत किया गया।

Tax Invoice No. 1111200218 dated 21.12.2011

Supply of Trailor mounted suction machine of 3500 litre capacity (Qty. – 01 No.) ₹ 3,94,194.00

Add : Excise @ 10.30% ₹ 40,601.98

38

Add : Central Vat @ 12.50% 54,349.50

Add : Freight ₹ 75,000.00

Total : ₹ 5,64,146/-

अभिश्रव सं0 74 दिनांक 16.01.12 द्वारा भुगतान किया गया।

लेखापरीक्षा की टिप्पणी

(i) क्रय समिति के गठन एवं निर्णय से संबंधित अभिलेख/टिप्पणी नहीं पाया गया। (ii) जिस मद से भुगतान किया गया, उसका उल्लेख नहीं पाया गया। (iii) अन्य नगर पंचायतों द्वारा काफी पूर्व में सामग्री की आपूर्ति ली गयी। वर्तमान में आपूर्ति लिये जाने की स्थिति में मूल्य संबंधी वार्तालाप किया गया अथवा नहीं इसका उल्लेख नहीं पाया गया। (iv) तकनिकी एवं गुणवत्ता जाँच तथा कार्यरत स्थिति से संबंधित प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं पाया गया। (v) सामग्री की प्राप्ति, उपयोगिता एवं भंडार पंजी प्रतिष्ठि उपलब्ध नहीं कराया गया।

लेखापरीक्षा आपत्ति के आलोक में बताया गया कि "सेक्शन मशीन" बोर्ड की बैठक में पारित आदेश के आलोक में बिहिया, नगर पंचायत की स्वीकृति दर पर क्रय के लिये दिये गय आदेश के आलोक में मशीन खरीदा गया है। लेखापरीक्षा आपत्ति अनुपालन मान्य नहीं है क्योंकि "मशीन क्रय" के लिए वित्तीय औचित्यता से संबंधित नियमों का पालन नहीं किया गया।

अतः किया गया कुल व्यय राशि 564146/– लेखापरीक्षा आपत्ति के अंतर्गत रखी जाती है।

ग. फॉगिंग मशीन का क्रय

पत्रांक 217 दिनांक 15.10.2011 द्वारा "हेमन्त इंजिनियरिंग, सहारणपुर, उत्तर प्रदेश" को दो अद्द फॉगिंग मशीन आपूर्ति करने का आदेश दिया गया, जो नगर पंचायत, बिहिया के आपूर्ति के दर पर था। आपूर्तिकर्ता द्वारा निम्न रूप से विपत्र प्रस्तुत किया गया।

Tax Invoice No. 10607317 dated 25.12.2011

Fogging machine Model SH-2ESS ₹ 1,24,624.00

Add : Central Vat @ 13% ₹ 16,824.00

Total : ₹ 1,41,448/-

अभिश्रव सं0 75 दिनांक 16.01.12 द्वारा 1,41,448/– का भुगतान किया गया।

लेखापरीक्षा की टिप्पणी

(i) पर्षद के निर्णय की प्रति संलग्न नहीं किया गया। (ii) क्रय समिति के गठन एवं निर्णय की प्रति संलग्न नहीं पाया गया। (iii) जिस मद से भुगतान किया गया, उसे स्पष्ट नहीं किया गया। (iv) नगर पंचायत पीरो द्वारा 02/2011 में मशीन की आपूर्ति ली गयी, क्या इस संबंध में वर्तमान में दर संबंधी

वार्तालाप की गई (v) तकनिकी एवं गुणवत्ता जाँच प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं पाया गया। (vi) सामग्री की प्राप्ति, उपयोगिता एवं भंडार पंजी प्रतिष्ठि इत्यादि का प्रमाण–पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया।

लेखापरीक्षा आपत्ति के अनुपालन में बताया गया कि बोर्ड की बैठक में पारित प्रस्ताव के आलोक में पीरो, नगर पंचायत के द्वारा स्वीकृत दर पर नगर पंचायत, बिहिया द्वारा भी उसी दर के आलोक में "फॉगिंग मशीन" खरीदा गया है जो सरकार के निर्गत नियम के तहत है। लेखापरीक्षा अनुपालन मान्य नहीं है क्योंकि मशीन क्रय के लिए "वित्तीय औचित्यतता" का पालन नहीं किया गया था।

अतः किया गया व्यय राशि 141448/– लेखापरीक्षा आपत्ति के अंतर्गत रखी जाती है।

घ. पानी टैंकर की आपूर्ति

दिनांक 17.10.2011 को पानी टैंकर क्रय का आदेश दिया गया तथा 3600 लीटर क्षमता वाली टैंकर का आपूर्ति आदेश पत्रांक 219 दिनांक 17.10.11 द्वारा **श्री साईं कृपा इन्टरप्राइजेज, पीरो (भोजपुर)** को आदेश दिया गया, जिसके आलोक में संबंधित आपूर्तिकर्त्ता द्वारा विपत्र प्रस्तुत किया गया, जो निम्न प्रकार है :–

Delivery Challan No. SSK/BH/006/11-12 dated 10.11.11
One Pc. Water Tanker complete all accessories (Complete Set) ₹ 1,25,256.00
Add : Central Vat @ 13.50% ₹ 16,910.00
Total : ₹ 1,42,166/-

अभिश्रव सं0 77 दिनांक 16.01.12 द्वारा 1,42,166/– का भुगतान किया गया।

लेखापरीक्षा की टिप्पणी

(i) पर्षद अथवा सशक्त स्थायी समिति के निर्णय का कोई उल्लेख अथवा अभिलेख नहीं पाया गया। (ii) क्रय समिति के गठन एवं निर्णय की प्रति संलग्न नहीं पाया गया। जिस मद से भुगतान किया गया, उसे स्पष्ट नहीं किया गया। (iii) तकनीकी एवं गुणवत्ता जाँच प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं किया गया। (iv) सामग्री की प्राप्ति, उपयोगिता एवं भंडार पंजी प्रविष्टि इत्यादि का प्रमाण–पत्र नहीं पाया गया।

लेखापरीक्षा आपत्ति के आलोक में बताया गया कि बोर्ड द्वारा निर्गत प्रस्ताव के आलोक में क्रय किया गया था। परन्तु अनुपालन मान्य नहीं है क्योंकि सरकारी सम्पत्तियों के क्रय हेतु अपनायी जानेवाली वित्तीय औचित्यतता का पालन नहीं किया गया था।

अतः व्यय की गई राशि 142166/– लेखापरीक्षा आपत्ति के अंतर्गत रखी जाती है।

18. प्रशासनिक भवन

नगर विकास विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 5 ब0/प्रा0म0–2–02/07–06/न0वि0 एवं आ0वि0 दिनांक 09.02.2009 के माध्यम से नगर पंचायत, बिहिया को प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु प्राक्कलित राशि 38.45 लाख का 75 प्रतिशत 28,87,875/– की राशि विमुक्त की गई।

संबंधित संचिका के पृष्ठ 02 की टिप्पणी के अनुसार नगर पंचायत को अपनी भूमि उपलब्ध नहीं थी। अनुमंडल पदाधिकारी, जगदीशपुर, भोजपुर के पत्रांक 186/गो0 दिनांक 18.03.2010 के द्वारा उप विकास आयुक्त, भोजपुर को डाक–बंगला की भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

नगर विकास विभाग, बिहार के ज्ञापांक 366 दिनांक 21.01.10 के माध्यम से यह सूचित किया गया कि किसी भी कारण से कार्य निष्पादन में विलम्ब के कारण बढ़ी हुई अंतर राशि जिम्मेवार पदाधिकारी से वसूल की जाय। ऐसे निकायों को अंतर राशि का भुगतान सरकार द्वारा नहीं किया जाएगा। पत्रांक 109 दिनांक 06.05.10 के माध्यम से उप विकास आयुक्त, भोजपुर को अनुमंडल पदाधिकारी, जगदीशपुर के अनुरोध के आलोक में भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। पुनः दिनांक 06.05.10 को पत्र सं0 106 के माध्यम से अंचलाधिकारी बिहिया को इस निमित अनुरोध किया गया।

नगर विकास विभाग के पत्रांक 355 दिनांक 1.02.12 द्वारा उपयोगिता एवं भूमि उपलब्धता के संबंध में प्रतिवेदन की माँग की गयी।

पत्रांक 03 दिनांक 4.01.13 द्वारा सरकार को प्रशासनिक स्वीकृति हेतु पुनरीक्षित प्राक्कलन 49.99 लाख का तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं भूमि उपलब्धता का प्रतिवेदन प्रेषित किया गया, जिसके अनुसार मात्रा 4,43,114 का व्यय किया गया।

अंचलाधिकारी, बिहिया के पत्रांक 402 दिनांक 17.04.12 द्वारा भूमि उपलब्ध कराये जाने की सूचना दी गई। दिनांक 30.07.10 को पत्रांक 170 के माध्यम से जिला पदाधिकारी से सहायक अभियंता प्रतिनियुक्त करने का अनुरोध किया गया। पुनः पत्रांक 291 दिनांक 18.12.10 के माध्यम से इस आशय का अनुरोध पुनः किया गया तथा पत्रांक 41 दिनांक 5.03.11 के माध्यम से इसी आशय का अनुरोध एक बार पुनः किया गया।

नगर विकास विभाग के पत्रांक 27 दिनांक 09.02.11 द्वारा जिला पदाधिकारी, भोजपुर को प्रशासनिक भवन निर्माण में विलम्ब के लिए जवाबदेही निर्धारित कर प्रतिवेदन भेजने का अनुरोध किया गया, जिसके आलोक में जिला पदाधिकारी द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, जगदीशपुर को इस आशय का प्रतिवेदन भेजने का निर्देश दिया गया।

पत्रांक 42 दिनांक 09.03.11 के माध्यम से अनुमंडल पदाधिकारी को यह प्रतिवेदित किया गया कि सहायक अभियंता, बिहार शहरी अभिकरण से तकनीकी स्वीकृति की प्रत्याशा में निविदा के प्रकाशन की समुचित कार्रवाई सुनिश्चित कर लिया जाएगा।

निविदा सूचना सं0 01/2012–13 दिनांक 24.04.12 के द्वारा इस आषय का निविदा प्रकाशित किया गया, जिसके अनुसार दिनांक 24.04.12 तक निविदा आमंत्रित थी। प्राप्त निविदाओं (दो) के तुलनात्मक विवरणी के आधार पर श्री मदन सिंह, संवेदक को 49,49,600 के मूल्य पर स्वीकृति दी गई। श्री सिंह के द्वारा दिनांक 24.05.12 को एकरारनामा किया गया तथा दिनांक 24.05.12 को कार्यादेश निर्गत किया गया। संवेदक द्वारा कराया गया कार्य पृष्ठ 5 एवं 6 के अनुसार :–